कुछ ऐतिहासिक मामले

यों तो नारी आंदोलन की शुरुआत पिछली सदी से जोड़ कर देखी जाती है। सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में इसके बीज ढूंढे जाते हैं। वास्तव में हमारे देश में औरतों के मुद्दों की तरफ ध्यान गया सत्तर के दशक में। तब नारी आंदोलन की जो लहर उठी वह फिर मज़बूत होती चली गई। आज दिनों दिन उसे ताक़त मिल रही है। छोटे-छोटे गांवों और कस्बों में, आदिवासी क्षेत्रों में औरतें अपने हक़ों की, स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात उठाती हैं। महिला समूह उठ रहे हैं। जंगलों, खेती, पानी, परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर औरतें अपनी राय देती हैं। एक समझ रखती हैं। इन सबकी शुरुआत हुई थी सन् 1977 के आस-पास। यह आपात स्थिति के बाद का ज़माना था। आमतौर पर लोग मानवीय स्वतन्त्रता और हक़ों की बात कर रहे थे। दबाव और अत्याचार जैसे मुद्दों पर सोच रहे थे।

मथुरा बलात्कार

"महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र की एक चौदह साल की लड़की मथुरा के साथ पुलिस थाने में गनपत और तुकाराम नाम के दो सिपाहियों ने बलात्कार किया। मथुरा के परिवार वाले और गांव के लोग थाने के बाहर उसे ले जाने के इंतजार में बैठे थे। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस वालों को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मथुरा का चरित्र अच्छा नहीं था। उसे संभोग की आदत थी इसलिए शायद यह उसकी मर्जी से हुआ। इस फैसले से सारे देश में कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। जगह-जगह संगठन और समूह उठ खड़े हुए। इस विषय में लिखा गया, नाटक किए गए। हर तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ।

इन्हीं दिनों दिल्ली के कुछ महिला समूहों ने औरतों के तथाकथित 'आत्महत्या' और दुर्घटना के मामलों की जांच की और पाया कि ज़्यादातर ससुराल वालों द्वारा की गई हत्याएं थीं। दिल्ली में लगभग 30 महिला समूहों ने मिल कर 'दहेज विरोधी चेतना मंच' बनाया।

रमीज़ा बी का मामला

सन् 1978 में हैदराबाद में एक दिन रमीज़ा बी अपने पति के साथ रात को सिनेमा देख कर लौट रही थी। रास्ते में उसे रोक कर पुलिसवालों ने उसे वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़ लिया। उसके पति को इतना मारा कि कुछ दिन बाद वह मर गया। रमीज़ा बी के साथ पुलिस ने बलात्कार किया।

सारे शहर में जनआक्रोश फैल गया। लोग विरोध में सड़कों पर निकल आए, थाने को जला दिया। यह गुस्सा सारे आंध्र प्रदेश में फैल गया। इस तरह से तो कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है। विरोध की इस लहर में हुई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए। सरकार को जांच कमेटी बैठानी पड़ी। जिसके नतीजों के अनुसार पुलिस ने न सिर्फ़ रमीज़ा के साथ बलात्कार किया, उसके पति की हत्या भी की तथा झूठे सबूत और गवाह पेश किए।

गुंताबेन की कहानी

1986 में गुजरात के भरूच जिले की एक आदिवासी औरत गुंताबेन के साथ पुलिस ने सामूहिक बलात्कार किया। कई संगठनों ने मिल कर इस मामले की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से की। जांच कमेटी बैठाई गई। 584 लोगों से बातचीत करके कमेटी ने नौ लोगों को दोषी पाया।

माया त्यागी का मामला

जून 1980 में खाते-पीते परिवार की औरत माया त्यागी अपने पति और रिश्तेदारों के साथ कार में सफर कर रही थी। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में गाड़ी खराब होने की वजह से रुकना पड़ा। दो पुलिस वालों ने गाड़ी में बैठी माया के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की। इस पर उसके पति और रिश्तेदारों ने उन पुलिसवालों की धुनाई की।

थोड़ी देर में ही कई पुलिसवाले आए और उन्होंने माया के पति सहित तीन लोगों को गोली मार दी। माया को घसीट कर बाहर निकाला। उसे नंगा कर के बाजार में घुमाया। थाने में उसके साथ तरह-तरह से अत्याचार किया और फिर गर्भवती माया के साथ बलात्कार किया गया। कहानी यह गढ़ी गई कि पुलिस ने तीन डाकुओं को मार डाला।

एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सरकारी ताक़त का बेजा इस्तेमाल करके न सिर्फ़ आम लोगों को मार डाला बल्कि एक बेकसूर औरत के साथ अमानवीय बर्ताव किया।

इन मामलों का असर

कुछ सालों के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा बलात्कार, दहेज हत्याओं के ऐसे मामलों ने लोगों में चेतना पैदा की। औरतों के साथ होने वाली हिंसा बहस का मुद्दा बनी। वकीलों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और अनेक पेशेवर लोगों ने आपस में जुड़ कर इस पर सोच-विचार और जांच शुरू की। इस सबसे कुछ परिणाम निकले।

1. कानूनी प्रक्रिया के औरतों के प्रति रवैये पर सवाल उठा।
2. कानून की कमज़ोरियां सामने आईं और संशोधन की मांग उठी।

3. पुलिस कर्मचारियों की धांधली पर रोशनी पड़ी।
4. औरतों के प्रति होने वाली हिंसा पर शोध सामग्री, आंकड़ों, सर्वेक्षणों के अभाव का पता चला।
5. मुसीबत में पड़ी औरतों को मदद देने वाले संगठनों और आश्रय स्थानों की कमी नज़र आई।
6. पूरे समाज की सोच, उसके दृष्टिकोण में बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हुई।

एक नई शुरुआत

यहीं से भारत में एक जीवन्त, सक्रिय और ताक़तवर महिला आंदोलन की शुरुआत हुई। समाज के अनेक वर्गों से औरतें इसमें जुड़ीं जिनके लिए यह जीवन का एक मकसद, जीवन का ढंग बन गया। औरत के दर्जे, समाज, परिवार में उसकी जगह, पितृसत्ता, लिंग से निश्चित भूमिका जैसे मुद्दों पर सोच विचार होने लगा। बहुत कुछ लिखा-पढ़ा और कहा जाने लगा। औरत के स्वास्थ्य से लेकर उस पर होने वाली हिंसा के संबंध में सर्वेक्षण हुए। अलग-अलग योग्यताओं और हुनर के लोगों ने अपने तरीके से औरतों की ताक़त बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। नाटक खेले गए, गीत बने, जुलूस निकाले गए, धरने और मोर्चे दिए गए। क़ानूनों में संशोधन आए। औरतों के मुद्दे सामान्य महिला संस्थाओं से लेकर संसद तक में चर्चा के लिए उठाए जाने लगे।

आज मथुरा बलात्कार, सुधा गोयल हत्याकांड या रमीज़ा बी का केस भारत के महिला आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर बन चुके हैं।

साभार
'इश्यूस एट स्टेक'